कानूनी जानकारी का फायदा

कंजर कालोनी पंडेर में दारू पीकर पत्नी को मारना पीटना, परेशान करना आम बात है। क्या यह कहानी सिर्फ उसी गांव की है? शायद हमारे देश की 90 फी सदी औरतों की है।

एक दिन सासेर बाई ने पति की रोज की मारपीट से परेशान होकर साथिन को अपना दुख सुनाया। उसने कहा, "शिविर में एक वकील ने बताया था कि औरत का पति या कोई और उस पर हाथ उठाता है तो उसे कानूनन सज़ा दी जा सकती है।"

साथिन ने धीरज से बात सुनी और बोली, "सासेर, यों दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे आदमी को कई बार समझाया जा चुका है। वह समझाने वाले पर ही हाथ उठा लेता है। तुम पंडेर पुलिस थाने जाकर थानेदार को सब बात बताओ। अगर थानेदार के डर से तुम्हारा पति सुधर जाए तो ठीक है।"

साथिन और सासेर थाने गईं। थानेदार से कहा आप रिपोर्ट न लिखें। सिर्फ सासेर के पति को धमकी दे दें। थानेदार ने एक सिपाही को कंजर कालोनी भेजकर सासेर के पति को पकड़ कर थाने में चलने को कहा। इससे वह इतना डर गया कि माफी मांगने लगा। उसने सासेर से माफ़ी मांगी और मारना पीटना बंद करने की बात कही। सासेर से प्रचेता व साथिन मिलती रहती हैं। सासेर ने बताया कि उस दिन से उसका आदमी इतना डर गया कि अब उस पर हाथ नहीं उठाता है। उसके साथ अच्छी तरह रहता है।

उसे दारू पीना बंद करने के लिए भी समझाया। पूरी कालोनी में सभी आदमी दारू पीते हैं, बनाते हैं, उनका यही धंधा है। एकदम से नहीं छूट सकता। लेकिन उसने कहा है कि वह पीना कम करेगा। इस तरह सासेर पति की पिटाई से बच गई। पड़ोस के और लोगों पर भी इसका असर पड़ा। उन्हें लगा कि उनकी पत्नियां भी थाने पर रपट लिखा सकती हैं। अब सभी अपनी पत्नियों पर हाथ उठाने से डरने लगे हैं।

सासेर को देखकर महिलाओं को एक रास्ता मिला है। उसके देवर और बेटे को भी राहत मिली। उन्होंने भी कहा, "बहिन जी आपने इसका अच्छा इलाज कर दिया। हम भी इससे दुखी थे।"

पंचायत समिति जहाजपुर (राजस्थान) से
प्रचेता शांता व बुरड़
साथिन लाड शर्मा

□

कानून संबंधी ज़रूरी जानकारी

अगर आपके साथ कोई अपराध किया गया है और आप पुलिस को इसकी सूचना देना चाहती हैं, तो अपने घर के पास या जहां यह घटना घटी हो वहां के सबसे नज़दीक थाने में रपट दर्ज करानी चाहिए। आपकी शिकायत पर पुलिस कार्यवाही करके केस अदालत में दाखिल करती है।

प्रथम सूचना रपट (एफ आई आर) में लिखा जाता है—

मुल्ज़िम का नाम और पता।

अपराध होने का दिन, समय, तारीख व जगह का ब्यौरा।

अगर कोई गवाह है तो उसका नाम व पता आदि।

आप किसी भी अपराध की चाहे वह आपके साथ हुआ हो या आपकी जान-पहचान के किसी और व्यक्ति के साथ। आप उसकी रपट ज़ुबानी या लिखित रूप से जमा करवा सकती हैं। अगर रपट ज़ुबानी है तो पुलिस अधिकारी उसे लिखकर आपसे दस्तख़त करवा लेगा या अंगूठा लगवा लेगा। रपट दर्ज करके उसकी नकल बिना किसी फ़ीस के आपको देना पुलिस का फर्ज़ है। आप उसकी मांग ज़रूर करें।

अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको कारण जानने का पूरा हक़ है। शाम के बाद महिला पुलिस साथ में न होने से पुलिस आपको थाने नहीं ले जा सकती है। अगर आपको थाने में रखा जाता है तो भी महिला पुलिस का होना ज़रूरी है।

किसी स्त्री या 15 साल से कम के बालक को थाने में पूछताछ के लिए आने को मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस को उससे उसके घर में ही पूछताछ करनी चाहिए।

पूछताछ के दौरान अगर आपको लगे कि कुछ सवालों का जवाब देने से आपको नुकसान हो सकता है तो आप उस समय जवाब देने से इंकार कर सकते हैं। आप को अपने वकील की राय लेने का पूरा हक़ है।

1. अगर आपका पति पीटता है;
2. ससुराल वाले आपके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, जैसे आपको बंद रखते हों, आपके आने-जाने पर पाबंदी लगाते हों;
3. आपको शारीरिक व मानसिक रूप से सताते हों;
4. आपको और आपके मायके वालों को दान-दहेज के लिए सताते हों;
5. आपकी जान को खतरा है;
6. आपको आत्महत्या के लिए मजबूर करने की कोशिश की जाती है;

इन सब हालातों में आप अपने इलाके के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आपकी शिकायत पर पुलिस दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। आप पुलिस से अपने को हिफाज़त की जगह पहुंचाने की मांग कर सकती हैं।

याद रखें—अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है।